खंड 1 संख्या 133

# राष्ट्र महिला

अगस्त 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

*सम्पादकीय*

भारत विश्व के सर्वाधिक महिला-असंवदेनशील देशों में जाना जाता है। महिलाओं के विकास की 155 देशों की सूचिका में यह 114वें नम्बर पर आता है और महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता की घटनाएं यहां आम हैं। महिलाओं को न केवल परिवार, समाज, शिक्षा संस्थाओं तथा रोज़गार में निम्न तथा अधीनस्थ स्थिति प्रदान की जाती है, अपितु गृहणी के रूप में भी वह उपेक्षित है। पारिवारिक ढांचे में महिलाएं बहुधा दुत्कार की भागी ही रहती हैं और उनके घरेलू कार्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता।

यह देख कर बड़ी हैरानी होती है कि महिलाओं, विशेषकर गृहणियों, के प्रति सरकार का रवैया भी भी वैसा ही भेदभावपूर्ण है और भारत की जनगणना में उनका वर्गीकरण भिखारियों, वेश्याओं एवं कैदियों के साथ गैर-उत्पादक कर्मियों में किया जाता है। महिलाएं जिनसे घर बनते हैं उन्हें वेश्याओं, भिखारियों और कैदियों के "गैर-कामकाजी" वर्ग मे डाल देना जानबूझ कर उस श्रम का अपमान करना है जो एक ईमानदार आय का सृजन करता है। "महिलाओं के प्रति श्रम की प्रतिष्ठा के बारे में सरकार की इस पूर्णतया असंवेदनशील तथा उपेक्षा भरी सोच" पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सांविधिाक प्राधिकारियों की आलोचना किया जाना बिल्कुल सही है।

वास्तव में, मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत एक मामले की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने एक महिला को उपयुक्त मुआवज़ा दिया और महिला की पात्रका का उचित मूल्य निर्धारित किया।

## चर्चा में — गृहणी का मोल

केरल में महिलाओं के एक वर्ग ने "बेजुबान और बेरोजगार" महिलाओं को संगठित करने के लिए एक संगठन बनाया है। इसकी मुख्य मांग यह है कि महिलाओं को उनके चौके के तथा घर के अन्य कार्यों के लिए भुगतान किया जाये।

इस संगठन के अनुसार, घर की व्यवस्था करने में महिला को पुरुष की अपेक्षा औसतन पांच घंटे अधिक कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उसका मौन कार्य पुरुष को अंशदान बढ़ाने में सहायक होता है और तद्नुसार उसकी क्षमता का स्तर बढ़ता है। इसलिए उसको उचित मुआवज़ा दिया जाना आवश्यक है। महिला कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि "यदि आप वास्तव में महिलाओं का योगदान जानना चाहते हैं तो यह उत्पादन का 50% होगा। फिर भी, न तो उन्हें इसका पैसा मिलता है, न ही उनकी कोई आवाज़ है और वेतन-रहित योगदान की कोई परवाह नहीं करता।"

यद्यपि गृहणियों के वास्तविक आर्थिक योगदान की गणना करना कठिन है, तथापि राष्ट्र-निर्माण मे उनकी भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती और जनगणना में उन्हें दी गयी उपहासपूर्ण अनुत्पादकता की संज्ञा का समर्थन करना असंभव है। पत्नी तथा माता दोनों के रूप में राष्ट्र-निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है।

इसलिए, यह ठीक ही है कि उच्चतम न्यायालय ने संसद से गृहणियों का पुनः मूल्यांकन करने, इस समय चल रही जनगणना से 2001 की जनगणना की विसंगतता को निकाल देने तथा मोटर गाड़ी अधिनियम में, जिसमें पत्नी का मोल एक-तिहाई रखा गया है, संशोधन करने को कहा है। अब समय आ गया है कि राष्ट्र महिलाओं को अपना यथा स्थान प्रदान करे।

## राजस्थान ने महिलाओं के लिए विशेष योजना प्रारंभ की

राजस्थान सरकार ने महिलाओं को उनकी स्कूली, कॉलिजी तथा तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन देकर बचपन से ही कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ाने की एक विशेष योजना प्रारंभ की है।

महिला सशक्तिकरण के भाग के रूप में प्रारंभ की गयी 2.46 करोड़ रुपये की इस योजना द्वारा लड़कियों को कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित किया जायेगा।

बागवानी, वानिकी, डेयरी, कृषि इंजीनियरी तथा खाद्य परिष्करण जैसे क्षेत्रों के अध्ययन में महिलाओं को यह प्रोत्साहन दिया जायेगा।

कृषि विषयों पर डॉक्टरी का अध्ययन कर रही महिलाओं के तीन वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जायेंगे।

## 1,500 लड़कियों ने आत्म-रक्षा का कौशल सीखा

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लड़कियों तथा महिलाओं के लिए 15-दिवसीय आत्म-रक्षा एवं सड़क सुरक्षा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें लगभग 1500 लड़कियों तथा महिलाओं ने इस प्रशिक्षण की बुनियादी तकनीक हासिल की।

समापन समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास थीं। दिल्ली पुलिस की पहल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की विशेष आवश्यकता है। उनहोंने विश्वास दिलाया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों से निबटने के लिए कदम उठाने में राष्ट्रीय महिला आयोग अगुवाई करेगा।

## आयोग की अध्यक्षा का भूटान दौरा

*श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती मीरा कुमार, डॉ. गिरिजा व्यास भूटान नरेश के साथ*

भूटानी संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करने और एक मैत्री ग्रुप का सूत्रपात करने के लिए लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार चार-दिवसीय दौरे पर भूटान गयीं। उनके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास और लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज भी गयीं।

बाद में, प्रतिनिधि मंडल ने भूटान नरेश जिगमे खेसर नामग्येल वांचुक, प्रधानमंत्री जिगमे थिनले, विधान सभा अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं से भेंट की।

*भूटान अधिकारियों के साथ भारतीय शिष्टमंडल*

## साहस का प्रतीक

पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर की निवासी बुल्टी बागी एक गरीब किसान परिवार की बेटी है। उसके विवाह के लिए उसके परिवार ने अपनी सारी बचत लगा दी और साहूकारसे कर्ज भी लिया। परन्तु वे लोग नहीं जानते थे कि विवाह समारोह के दौरान दूल्हे के परिवार वो परस्पर सहमत 1 लाख 90 हजार रुपये से अधिक रकम की मांग करेंगे। सिंदूर दान' अनुष्ठान हो जाने के बाद जब दूल्हे ने अधिक दहेज की मांग की, तो बुल्टी विवाह से बाहर निकल गयी। दूल्हा नशे में था और सारी राशि एक-साथ ले जाना चाहता था। दहेज की मांग से त्रस्त बुल्टी ने सारे मेहमानों के समक्ष अपना सिंदूर पौंछ डाला और दूल्हे के साथ जाने से इन्कार कर दिया। बाद में, गांव के बुजुर्गों ने बुल्टी के विवाह में हस्तक्षेप किया और इस बात पर समर्थन किया कि विवाह निरस्त कर दिया जाये तथा दुल्हन के पिता को रकम लौटा दी जाये।

दहेज लोलुप परिवार के विरुद्ध बुल्टी का कृत्य सराहनीय है और सभी युवा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्रति श्रीमती प्रतिभा पाटिल उससे मिलने की इच्छुक है और उसे प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता देना चाहती हैं।

वह उसकी भविष्य की योजना जानना चाहती हैं क्योंकि ग्रामीण समाज में ऐसी महिला का जीवन बहुत दूभर हो जाता है जिसका विवाह निरस्त हो गया हो। वह चाहती हैं कि बुल्टी आगे पढ़े और पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर लेने पर कोई काम कर ले तथा आत्म-निर्भर बन जाये।

## महिलाओं को बच्चा गोद लेने का समान अधिकार मिलेगा

धार्मिक सीमाएं लांघ कर महिलाओं को सशक्तिकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि उन्हें बच्चों की अभिभावक बनने और गोद लेने के समान अधिकार दिए जायें। समिति ने राय व्यक्त की है कि वैयक्तिक कानून संशोधन विधेयक 2010 में प्रस्तावित संशोधनों से मां को बच्चों की अभिभावक बनने और उन्हें गोद लेने के उतने ही अधिकार मिल जायेंगे जो पिता को मिले हुए हैं।

संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पिता के साथ-साथ मां को भी अभिभावक नियुक्त किया जाये ताकि पिता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में न्यायालयों को किसी अन्य व्यकित को अभिभावक नियुक्त न करना पड़े।

एक अन्य संशोधन, हिन्दू दत्तकग्रहण भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में (जो हिन्दुओं, जैनों, बुद्धों तथा सिखों पर लागू होता है) प्रस्तावित किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि विवाहित महिला को बच्चा गोद लेने तथा बच्चे को गोद देने के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर कर दी जायें।

# वैवाहिक कानूनों में संशोधन पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वैवाहिक कानूनों में संशोधन के बारे में मुम्बई में मजलिस नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग में एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। देश भर से आये 90 भागीदारों में शामिल थे महिलाओं के आर्थिक अधिकारों पर वार्तालाप करने वाले वकील और ससुराली सम्पत्ति के विभाजन पर कार्य करने वाले बौद्धिक तथा कार्यकर्त्ता। पारिवारिक न्यायालय, पुणे, की पूर्व जज श्रीमती शालिनी जोशी ने अपने प्रारंभिक भाषण में बताया कि भरण-पोषण आवश्यकता आधारित होने के बजाय पात्रता-आध ारित क्यों होना चाहिए।

*परामर्श में बायें से श्रीमती शालिनी जोशी, आयोग की सदस्य-सचिव श्रीमती ज़ोहरा चटर्जी*

इस बात पर सर्वसम्मति थी कि जब तक कि महिला की आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान न हो जाये तब तक असाध्य विवाह विच्छेद पर तलाक की अनुमति का उपबंध नहीं शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा मुख्यतः दो मुद्दो पर केन्द्रित रही :-

(i) 'असाध्य विवाह विच्छेद और (ii) कानून के अभाव में किस परिस्थिति में महिलाएं एकमुश्त आर्थिक समझौता हासिल कर सकती हैं और तलाक के समय किस चीज को न्याय और उचित समझौता माना जा सकता है?

इस अवसर पर बोलते हुए, आयोग की सदस्य-सचिव सुश्री ज़ोहरा चटर्जी ने कहा कि ऐसे संशोधन पर विचार करते समय यह अत्यावश्यक है कि ससुराली सम्पत्ति पर महिला के अधिकार के समस्त मुद्दे को विचार में लिया जाये और यदि असाध्य विवाह विच्छेद को तलाक का आधार बनाया जाना है तो महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

*परामर्श में सम्मिलित भागीदारों की एक झलक*

## महत्वपूर्ण निर्णय

### ● महिलाएं सास-ससुर की सम्पत्ति पर दावा नहीं कर सकतीं

दिल्ली के एक न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि महिलाएं अपने सास-ससुर की सम्पत्ति पर दावा नहीं कर सकतीं। न्यायालय ने कहा कि केवल पति ही महिला के भरण-पोषण का जिम्मेदार है, सास-ससुर नहीं। अतिरिक्त सेशन जज ने ममता कपूर की अपने सास-ससुर की सम्पत्ति पर दावे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "महज इसलिए कि लड़की विगत काल में उनकी सम्पत्ति में रही, वह उस सम्पत्ति की भागीदार नहीं बन जाती।"

### ● तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले भरण-पोषण की हकदार है : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुस्लिम पुरुष को अपनी तलाकशुदा पत्नी तथा बच्चों का भरण-पोषण तब तक देना होगा जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून के बावजूद, जिसके अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी केवल *इद्दत* काल के दौरान - जो तीन महीने का होता है - उसके भरण-पोषण का उत्तरदायी है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनर्विवाह करने तक पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार है।

### ● पत्नी को स्वयं को चोट पहुंचाने को मजबूर करना पति की क्रूरता माना जायेगा : उच्च न्यायालय

पति का ऐसा कृत्य जिसके परिणामस्वरूप पत्नी स्वयं को चोट पहुंचाने पर मजबूर हो जाये, उस पर क्रूरता करने के समान होगा। यह निर्णय देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पुरुष को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

पीड़िता के मृत्यु समय दिए गये बयान को मानते हुए, न्यायालय ने पुरुष को अपनी पत्नी पर क्रूरता करने का दोषी भी पाया और इसके लिए उसे तीन वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई।

न्यायमूर्ति वी.के. जैन और बी.डी. अहमद की एक खंडपीठ ने कहा कि "जिस महिला पर क्रूरता की गयी उसे भले ही कोई हानि न पहुंची हो, परन्तु आरोपी द्वारा किए गये कृत्य में महिला को ऐसा कदम उठाने को मजबूर होने की शक्यता है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्रूरता है।"

*अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :*
**www.ncw.nic.in**

## सदस्यों के दौरे

सदस्या यास्मीन अब्रार ने लखनऊ में 'महिलाओं के प्रति अपराध बंद करो' विषय पर एक कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध देश के हर भाग में हो रहे हैं। समाज, प्रशासन सभी महिाओं की आवाज़ दबाने का प्रयत्न करते हैं। महिलाएं सब तरह की शारीरिक तथा मानसिक यातना का शिकार हैं।

## एन.आर.आई कक्ष

राष्ट्रीय महिला आयोग ने समुद्रपार भारतीय कार्य मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श करने के बाद सितम्बर, 2009 में एक एन.आर.आई. कक्ष स्थापित किया था। आयोग ने सिफारिश की है कि वैवाहिक विवादों, पत्नियों एवं बच्चों के भरण-पोषण, बच्चों की हिरासत, ससुराली सम्पत्ति के निबटारे आदि मुद्दों के लिए एक अलग कानून बनाया जाये।

केवल छः महीने के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन.आर.आई. (गैर निवासी भारतीय) कक्ष द्वारा 350 मामले दर्ज किए गये हैं, अर्थात् लगभग 2 मामले प्रति दिन। सर्वाधिक मामले (52) अमेरिका के हैं और 17 इंग्लैंड के। ऑस्ट्रेलिया के 14 मामले दर्ज हुए हैं जो वहां भारतीयों की बड़ी संख्या का द्योतक है।

सितम्बर 2009 और मार्च 2010 के बीच दर्ज इन 350 मामलों में 23 दिल्ली से संबंधित हैं, 16 पंजाब से, 15 उत्तर प्रदेश से, 11 महाराष्ट्र से और 10 हरियाणा से। कई मामले ऐसे हैं जिनमें विवाहित महिलाओं को पतियों द्वारा भारत में छोड़ दिया गया जबकि अन्य में विदेश पहुंचने पर उन्हें हवाई अड्डे पर बेसहारा छोड़ कर चले गये। अन्य मामलों में, महिलाओं को मारा-पीटा गया, गाली-गलौज की गयी और तलाक दे दिया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।